रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 105] नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 1982/ज्येष्ठ 10, 1904
No. 105] NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 1982/JYAISTHA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 28-आई टी सी (पी एन)/82

नई दिल्ली, 31 मई, 1982

विषय:—1.5 बिलियन येन क्रेडिट के अधीन उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की हीराकुद हाईड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए माल और सेवाओं के आयात के लिए लाईसेंस शर्तें।

भो० सं० आई० पी० सी०/23(29)/82:— उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की हीराकुद हाईड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1.5 बिलियन येन क्रेडिट के अधीन आयात लाईसेंस के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

मणि नारायणस्वामी,
मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 28-आई० टी० सी० (पी एन)/82 दिनांक 31 मई, 1982 का परिशिष्ट

जापान की विदेशी आर्थिक सहकारी निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए 1.5 बिलियन येन ऋण के अधीन उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड की हीराकुद हाईड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए माल के आयातों और सेवाओं के संबंध में लाईसेंस शर्तें।

खंड:—1 सामान्य शर्तें

1(1) उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड (ओ०एस०ई०बी०) की हीराकुद हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना की आवश्यकताओं के वित्त-धान के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एफ०) द्वारा प्रदान किया गया 1.5 बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खुला है। तद्नुसार, इस क्रेडिट के अधीन अधि-प्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं। ये देश इस ऋण के अंतर्गत पात्र स्रोत देश होंगे।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लि, लाईसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महा निदेशालय, तकनीकी विकास/पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाईसेंस (सों) का मूल्य 1.700 मिलियन (लागत बीमा भाड़ा) से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधि-सूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित

(ग) जहां अधि-प्राप्ति में शामिल धनराशि इतनी कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से दिलचस्पी न ले या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के फायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्वपूर्ण हों।

(घ) ऊपर (क) (ख) और (ग) के अतिरिक्त जहां निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया को अनुपयुक्त समझे उदाहरणार्थ आपात अधिप्राप्ति के मामले में।

ऊपर संकेतित मामलों में, निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इस ढंग से अपनाई जाए, जिससे जहां तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके :-

(1) औपचारिक चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय निविदा करना।

(2) अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति।

(3) एक संभरक से सीधा क्रय विशेष कारण, औचित्य लगाने वाली बोलियों के।

ओ० एस० ई० बी० द्वारा सभी नोटिस और बोलीकारों के लिए अनुदेश, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विशिष्टिकरण और ड्राइंग, बोली विश्लेषण की रिपोर्ट, संविदा देने के प्रस्ताव और बोली लगाने से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों की तीन प्रतियों के साथ वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को तुरन्त प्रस्तुत की जानी चाहिए जो कि सभी दस्तावेज ऋण करार की अनुसूची -5 की कंडिका 1(2) में दिए गए के अनुसार इनकी पुनरीक्षा के लिए ओ ई सी एफ को भेजेगा।

2(4) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1981-82 के लिए ओ ई सी एफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आईडी पी- 16 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसका ब्यौरा नीचे खंड 6 में दिया गया है।

2(5) आयात लाईसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन कुछ विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाईसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(6) संभरक की पात्रता : संभरक पात्र स्रोत देशों का नागरिक या पात्र स्रोत देशों में समाविष्ट और पंजीकृत व्यायिक व्यक्ति है और पात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा नियंत्रित है।

2(7) संविदा में घोषणा : प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा:—

"मैं अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभारित किया जाने वाला माल-------में (पात्र स्रोत देश) उत्पादित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30% से कम है:—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर नि० शुल्क मूल्य}} \times 100"$$

और

"मैं अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि -------- (पात्र स्रोत देश का नाम) में -- --------- (कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा नियंत्रित है।

2(8) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात : जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों से बनी हुई सामग्री निहित है, उनका वित्त-पोषण किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मद-वार आधार पर आयातित भाग 30% प्रतिशत से कम हो :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातक शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर नि० शुल्क मूल्य}} \times 100"$$

खण्ड-3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें।

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए:-

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी एफ) के बीच ओ० एस० ई० बी० हीराकुड हाईड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए येन क्रेडिट आई डी० पी 16 (परियोजना सहायता) से संबंधित 15 अक्तूबर, 1981 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच येन क्रेडिट सं० आई० डी०पी०- 16 से संबंधित 15 अक्तूबर, 1981 को हुए ऋण समझौते के अंतर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ ई सी एफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाणपत्र (तीन प्रतियों में)

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोत-लदान से कम से कम 1 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा, जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पोत-लदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खंड-4 विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा ठेके का अनुमोदन:—

4(1) लाईसेंस-धारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर ओ० एस० ई० बी० और विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरक द्वारा लिखित में पुष्ट आदेश के साथ हों या उनकी इस प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाईसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित, जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रिया-विधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय वस्तु के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), जापान अनुभाग, ओ० एस० ई० सी० के हीराकुड हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए येन क्रेडिट सं० आई० डी० पी०-16 (परियोजना सहायता) के अंतर्गत वित्तदान करने के लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ० ई० सी० एफ०) को संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

खंड-5 विदेशी संभरकों को भुगतान साख पत्र क्रिया विधि.

5(1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ० ई० सी० एफ०) के ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग जापान अनुभाग द्वारा ओ० एस० ई० बी० और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद ओ० एस० ई० बी० को सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी० ए० ए० ए० कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबंध 3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सी० ए० ए० खंड एण्ड अनुबंध-4 के रूप में संलग्नक प्रपत्र में प्राधिकारपत्र भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिए) या अनुबंध-6 (सेवाओं के लिए) के रूप में संलग्नक प्रपत्र में संबंधित विदेशी संभरक के नाम में अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने के के लिए जारी करेगा। प्राधिकार-पत्र की प्रतियां (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि) (ओ० ई० सी० एफ०) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी।

5(2) प्राधिकारपत्र मिलने पर, भारतीय बैंक टोकियो अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साख-पत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयात के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी० ए० ए० ए० से प्राधिकार पत्र के आधार पर साख-पत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रिया विधि संविदा संशोधन या अन्यथा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे ही सभी प्राधिकार पत्र/साख पत्रों के संशोधनों पर स्वत लागू होगी।

5(3) माल का पोत-लदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साख-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लि बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साख-पत्र के अंतर्गत सौदे तय करने के लिए, साखपत्र खोलने के लिए टोकियो स्थित भारतीय बैंक को चुकाए जाने वाले बैंक प्रभार और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरक के बैंकर के प्रभारों के लिए और विदेशी संभरक को उनके द्वारा किए गए आयातों की कीमत के, भुगतान की तिथि से ओ० ई० सी० एफ० द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख तक की अवधि के लिए अदा किए जाने योग्य ब्याज प्रभारों का फैसला भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही सामान्य बैंकिंग सूत्र के माध्यम से टोकियो स्थित भारतीय बैंक को प्रेषण द्वारा भारत में आयातक के बैंक द्वारा किया जाएगा।

खंड-6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकारपत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंकर को परक्राम्य जहाजरानी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। येन भुगतान के समतुल्य रुपए पर ब्याज की दर प्रथम 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक और उससे अधिक अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक होगी, जो बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा विदेशी संभरक को भुगतान की तिथी से वास्तविक रुपया जमा कराने की तिथि तक गिनी जाएगी और सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई टी सी (पी एन) /76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार मूल भुगतान के साथ जमा की जाएगी। यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि दोनों दिन अर्थात जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया गया है का ब्याज लिया जाएगा, देखिए, सार्वजनिक सूचना सं० 103 आई टी० सी० (पी० एन) /76 दिनांक 12-10-76 के अंतर्गत संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई० टी० सी० (पी० एन) /74 दिनांक 13-5-1974। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109-आई० टी० सी० (पी० एन) /74 दिनांक 3-8-74 और सं० 8-आई० टी० सी० (पी एन)/76, दिनांक 17-1-1976 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपोजिट्स एंड एडवान्सिस-843 सिविल डिपोजिट्स- डिपोजिट्स फार परचेजिज एटस्ट्रा एब्रोड परचेज अंडर क्रेडिट्स/लोन एग्रीमेंट सीम फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान-4 बिलियन येन क्रेडिट सं० आई० डी० पी० 16 फार हीराकुड हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट" होना चाहिए।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई० टी० सी० (पी० एन/68, दिनांक 30-8-1968, सं० 233-आई० टी० सी० (पी० एन)/ 68, दिनांक 24-10-1968 सं० 132 आई० टी० सी० (पी एम) /71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी० सी० (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 और सं० 103आई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 12-10-76 में यथानिर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर संबद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई० टी० सी० (पी एन) /76 दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़े जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी० सी० (पी एन) /71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई० टी० सी० (पी एन)/74 दिनांक 21-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन प्रेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार-पत्र सं० और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं,

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि

इसके पश्चात् सी० ए० ए० एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकारपत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत-परिवहन दस्तावेजों को सलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० ए० ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो से आवागमी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत-लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी० ए० ए० एण्ड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सबद्ध भारतीय बैंक को लाईसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बंबई को भेजना चाहिए।

खण्ड-8 विविध व्यवस्थाएं :

8(1) आयात लाईसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक को पोत-लदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख-पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

8(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना : लाईसेंसधारी को आयात लाईसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबंधों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने लेजाने में संभरक पर प्रभाव डालता हो।

8(3) विवाद : यह समझ लेना चाहिए कि लाईसेंस और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों अनुबंध-3 में "भुगतान की शर्तें" के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से संबद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

8(4) भविष्य अनुदेश : आयात लाईसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते पत्र (वस्तु सहायता) सं० आई डी पी 16 के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाईसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन : उपर्युक्त खंडों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

8(6) अनुबंधों की सूची :

1. अनुबंध—1 पात्र स्रोत देशों की सूची
2. अनुबंध—2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग-दर्शन
3. अनुबंध—3 अधिकारपत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबंध—4 प्राधिकारपत्र का प्रपत्र
5. अनुबंध—5 साख-पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6. अनुबंध—6 साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए)।

अनुबंध-1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) विदेशी आर्थिक सहयोग से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा :
मिस्र
मोरक्को
ट्यूनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा :
अंगोला
बोत्सवाना
बुरुण्डी
कैमेरून
केप वर्डी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीका गणतन्त्र
चाड
कमोरो द्वीप समूह
कांगो, दाहोमे का गणतन्त्र
मध्य गिनी (1)
इथोपिया
जाम्बिया
घाना
गिनी
आइवेरी कोस्ट
कीनिया
लेसोथो
लाइबीरिया
मालागासी गणतंत्र
मालावी
माली
मारितेनिया मारीशस
मुजम्बिक
नाइजर
पुर्तगाली गिनी
र्यूनियम
रोडेशिया
रवाण्डा
सेंट हेलिना और डेप (2)
सायोटोम और प्रिन्सिप
सेनेगल
सेचिलिज
सियरा लियोन
सोमालिया
सूडान
स्वाजीलैण्ड
टेरी आफर्स और इस्सास
टोगो
युगाण्डा
तन्जानिया गणतन्त्र संघ
अपर वोल्टा
जायरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. अमेरिका, उत्तरी और केन्द्रीय :

बेहमस
बारबाडोज
बेलाइज
बरमूडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल साल्वाडोर
गुवाडे लोप
ग्वाटेमाला
हेती
होण्डूरस
जमैका
मार्टिनिक
मेक्सिको
नीदर लैण्ड एन्टिलीज
निकारगुवा
पनामा
सेन्टर पियरी और मिक्वेलान
ट्रिनीडाड और टोबागो
वेस्ट इण्डीज (शाखा) एसग्राईई
(क) सह-सबद्ध राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्डा पो द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—
अक्सेन्शन, ट्रिस्टन्डा कुन एसेसोसिबल्स, नाइटिन्गेल गफ

(3) मुख्य द्वीप समूह अरूबा, बोनायरे क्यूराकाओ साबा, सेन्ट यूस्टामिट सेन्ट मारटिन (दक्षिणी भाग)

4. दक्षिणी अमेरिका :

अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिल्ली
कोलम्बिया
फाल्क लैण्ड द्वीप समूह
फ्रांसिसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरु
सूरिनाम
उरुग्वे

5. मध्यपूर्वी एशिया :

बेहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिरियाई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमिरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी का लो० गण० (4)

6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
भारत
माल द्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया :

ब्रुनी
हांगकांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
नौरु
न्यूकैलीडोनिया
न्यू हैब्रिसिस (ब्रि, और फ्र)
नियू
पोलिपिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुवा न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (ब्रि०)
टोंगा
वालिस और फुतुना
पश्चिमी समोआ

9. यूरोप :

साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
युगोस्लाविया

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, डोमिनिका; ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफर) नेविस-अंगुइला, सेन्ट लुसिया और सेन्ट विसेन्ट

(2) मेन आई लैण्ड, मोन्टसरत, केमान, तुर्की और काइकोस और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह।

(3) अजमन, दुबई फुजायरह, रास अल खेमाह शरजाह और उमअल कवैवेन।

(4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित।

(5) सोसायटी आई लैंड्स समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रेल द्वीप समूह, टुआमोट, जाम्बियर ग्रुप और मार्कस द्वीप समूह।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह मार्शल द्वीप समूह और मैरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़ कर)।

(क) 2 ओ० पी० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश :

अल्जीरिया
बोलिविया
लीबियाई अरब गणतंत्र
गैबोन
नाइजीरिया
इक्वेडोर
वेनजुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कतर
सऊदी अरब
आबूधाबी
इण्डोनेशिया

अनुबंध-2

ओ०ई० सी० एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजना ऋण के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्ग दर्शन।

1. विज्ञापन :

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएं बोली आमंत्रित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति होनी चाहिए।

2. बोली के दस्तावेज और संविदाएं :

2.1 बोली बांड और गारंटियां :

बोली बांड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार हतोत्साहित हो जाएं। बोली खुलने के पश्चात् जैसे ही संभव हो बोली बांड अथवा गारंटियां असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिएं।

2.2 संविदा की शर्तें :

संविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में दी गई संविदा की शर्तों में आयातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्व और यदि आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिएं। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्देशन बिन्दुओं में किया गया है कि अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 संविदाओं की किस्म और आकार :

संविदाएं, निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मदों के या एक मुश्त कीमतों के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के समन्वय के आधार पर, प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती हैं या और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए।

वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यत: आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं है।

इंजीनियरिंग, उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (टर्नकी संविदाएं) यदि ऋणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक :

वे निर्यातक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का वित्तदान ऋण की रकम में से किया जाता है। (जिसे इसके बाद "पात्र संभरक" कहा गया है), पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे :—

(1) अभिदान किए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।

(2) पूर्णकालिक निदेशकों का बहुमत पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।

(3) ऐसे न्यायिक "व्यक्तियों" का पंजीकरण पात्र स्रोत देशों में होगा।

3. संविदा की कीमत :

(क) संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए, बशर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में खर्च करेगा। ऋण की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मूल्य समंजन धाराएं :
बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है।

यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविदा की कीमत में समंजन के लिए व्यवस्था होना चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए।

माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्राय: शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्द किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्राय: नहीं होनी चाहिए।

ये मार्ग निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उपायों के परिचय का आभास नहीं कराते हैं जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

(ग) बीमा।

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्मों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित क्रय आदेश जो भारतीय आयातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी फण्ड को स्वीकार्य है।

3.3 प्रत्येक संविदा में संघटक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

"मैं (हम) एतद्द्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी पात्र संघटक है, क्योंकि शेयरों का ..... प्रतिशत (%) ..... (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है, और ..... प्रतिशत ( ) निदेशक ..... (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिक हैं और मेरी (हमारी) कम्पनी ..... (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत कराई गई है।

4.1 मान दंड :

यदि उन राष्ट्रीय मानदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदंड को पूरा करने वाली पण्य वस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

4.2 ब्राण्ड नामों का प्रयोग :

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिएं और उन्हें केवल ब्राण्ड, नाम सूची, संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पण्य वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती जुलती हैं और कम से कम उन विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं।

4.3 गारंटी निष्पादन बांड और रोक रखी गई धनराशि :

सिविल कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारंटी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की और परिमाण के अनुसार भिन्न भिन्न होंगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा को पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि को बोली दस्तावेज में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोक रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाता है तो वह केवल नाममात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

5. चुकाई जाने वाली क्षति

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से सम्बद्ध प्रावधान शामिल होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पहले सिविल निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोनस देने के लिए भी व्यवस्था की जाए।

6. बाध्यकारी परिस्थिति :

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में धाराएं होनी चाहिएं कि संविदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश करने वाली स्थितियों में पक्षों के नियंत्रण के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है)।

7. झगड़ों का निपटान :

झगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिएं। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए 'समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों' पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय आयातक और विदेशी संघटक दोनों को स्वीकार्य हों, पर आधारित होने चाहिएं।

8. भाषा की व्याख्या

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिएं। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाय कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली बोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

9.1 बोलियों के आमंत्रण और प्रस्तुत करने के बीच का समय :

बोली तैयार करने के लिए अनुमत समय अधिकतर संविदा की महत्ता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 30 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए। किन्तु, अनुमत समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9.2 बोली खोलने की क्रिया विधि :

बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए तिथि, समय और स्थान को बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों को कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9.3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन :

बोली खुलने के पश्चात् किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बोली के मूल तत्व में कोई परिवर्तन लाए बिना ही केवल स्पष्टीकरण को ही स्वीकार किया जाए। आयातक किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलीकार को उसकी बोली के वास्तविक एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9.4 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि :

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली को खुलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रिया विधियों से औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिये जब तक कि सफल बोलीकार के लिये संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9.5 बोलियों की जांच :—बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिये कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियां के अनुसार हैं, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत् हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलियां सामान्यता अन्यथा रूप से सही हैं यदि बोलियां मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिये। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिये और बोलियों के मिलान के लिये तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिये।

9.6 बोलीकार की पूर्व योग्यतायें :—पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिये कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिये क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये।

9.7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान :—बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिये। गणितीय गलतियों के लिये समंजित बोली की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य-कुशलता एवं क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिये। जहां तक संभव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टिकृत मानदंड के अनुसार रुपये पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहियें। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजित कीमत के लिये वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिये।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्रायें जिनमें मूल्य चुकाने का प्रस्ताव किया जाता है तो बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जायेगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिये और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिये। ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिये विनिमय की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर होनी चाहिये और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाये तब तक बोलियां खुलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिये। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करते समय विनिमय की दर उपयोग में लाई जानी चाहिये।

9.8 बोलियों को अस्वीकृत करना :—बोली दस्तावेजों में सामान्यतः यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिये और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियां आमंत्रित नहीं की जानी चाहिये। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिये भी तब औचित्य देने चाहियें जहां (क) बोलियां, बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार नहीं है या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है है तो ऋणी को चाहिये कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिये मूल आमंत्रण में मांगी गई पण्य वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करे। विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिये किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है।

9.9 संविदा का निर्णय :—संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिये किया जाना चाहिये जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार लिये यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्य वस्तुओं के लिये या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिये जिम्मेदारी ले।

अनुबन्ध 3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये प्रार्थनापत्र

संख्या ..... दिनांक .....

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय :—येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता---) ....
के अन्तर्गत जापान से ----------का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता)
के अधीन .....से.....के
आयात के संबंध में .....(बैंक का नाम).....
जो कि वही होना चाहिये जो नीचे (ङ) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साख पत्र खोलने के लिये दिया गया है, को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करने हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके..... क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिये कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) यदि कोई हो तो पात्र से इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में)

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन में)

(झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिये प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता :—

(1) राष्ट्रिकता

(2) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिये गये शेयरों की प्रतिशत

(3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या संभरक का निगमन स्थान

(4) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं।

(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथियां जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय हों।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।

(ढ) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)

(ण) पोतलदान अनुदेश (यानान्तरण पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिये)

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदायें) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत आई०सी०एफ० को इसे अधिसूचित किया गया है।

अनुबन्ध 4

(प्राधिकार पत्र का प्रपत्र)

सं० एफ०

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक :

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय :—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार संख्या आई०डी० पी०-16 के अधीन आयात साखपत्र खोलने के लिये प्राधिकरण जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किये गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री ······ ·································के नाम में······················येन धनराशि के लिये अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गये प्रत्येक साख-पत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ०ई०सी०एफ० भारतीय दूतावास, टोकियो और इसमें पृष्ठांकित की जाये।

साख-पत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जायेगा। भुगतान के बाद, ओ०ई०सी०एफ० को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिये।

संभरक को आपके द्वारा किये गये भुगतान की तिथि से और ओ०ई० सी० एफ० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिये चुकाये जाने योग्य प्रभार भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा आपके द्वारा भारत में संबंधित आयातक बैंक के साथ सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किये बिना किया जायेगा, बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साख-पत्र खोलने, रख-रखाव करने और साख-पत्रों को जारी रखने के लिये खर्च भी शामिल हैं क्योंकि व भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी विदेशी संभरक को ही देने पड़ेंगे और इसलिये आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जायेगा। और इसलिये उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ०ई०सी एफ में नहीं किया जा सकता। जब और जैसे ही आपके द्वारा भुगतान किया जाता है और आपको प्रतिपूर्ति की जाती है, तो निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय को सूचना भेजें।

यह प्राधिकार-पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साख-पत्र खोलने के लिए है। इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए आगे के नए साखपत्र या साखपत्र में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार पत्र··· ··············· तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक······················को उनके पत्र सं० ·········· दिनांक ··················के संदर्भ में।

2 आयातक का बैंक···· ·············। उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन भुगतान के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17 जनवरी, 1976 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को अदायगी करने की तिथि से सरकार के लेखों में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं 46-आई-टीसी (पी एन)/76, दिनांक 16 जून, 1976 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज को सरकारी लेखों में जमा करना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में जमा रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी।) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी (पी एन)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1980, संख्या 233-आई टीसी (पी एन) 68, दिनांक 24 अक्तूबर, 1968, सं० 132-आई टीसी (पी एन)/71, दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 सं० 74-आई टीसी (पीएन)/74, दिनांक 31 मई, 1974 और सं० 103-आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 12 अक्तूबर, 1976 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह 'क' डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज-843-सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसेक्ट्रा एब्राड अन्डर परचेजिंग क्रेडिट अंडर लोन एग्रीमेंट येन 1.5 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई डी०पी०-16 फार 1981-82 फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान है"।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिज़र्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टट आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उसकी चालान की मूल रूप में एक प्रति बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

पहली मंजिल, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 में यथा उल्लिखित वर्तनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

संभरकों को किए गए भुगतान की तिथि से बैंक आफ इंडिया, टोकियो को उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि तक ओ०ई०सी०एफ० द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को किए गए ब्याज प्रभार बैंक आफ इंडिया, टोकियो के साथ सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सीधे ही आपके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3. निदेशक, ऋण विभाग 2, समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेकवसी गोडो बिल्डिंग, 4-1, ओहटिमेची 1-कोमे, चियोडा-कू, टोकियो-100 जापान।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबंध 5

(ओ०ई०सी०एफ०एल०सी०-1 प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(माल के लिए लागू)

दिनांक ....

सेवा में,

....	यह साख-पत्र (ऋणी) और विदेशी
....	आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए
....	ऋण करार सं० ....
(संभरक का नाम और पता)	के दिनांक .... के
	अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए वर्तनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० .... खोल दिया है जो ....येन (.......................येन कह सकते हैं) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाता है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

मलीन आन बोर्ड, समुद्री पोत लदान बिल जिसमें दिए गए आदेश का पूरा सेट हो ब्लैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित 'फ्रेट' एवं 'नोटिफाई'

अन्य दस्तावेज जिसमें .... से .... तक लदान का सत्यापन किया गया हो (संविदा सं० .... (यदि कोई हो) के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलदान स्वीकृत है। वाहान्तरण स्वीकृत है।

पोतलदान बिल जो .... से बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए। आदेशिती को ड्राफ्ट ....19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए। 'अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० .... दिनांक ....19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ सं० (संख्याएं) यदि कोई हो'। यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एतद् द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट 'यूनि फार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकूमेंटस क्रेडिटस (1974) (रिवीजन) इंटरनेशनल चेम्बर आफ कामर्स ब्रोचर नं० 290 के अधीन है'।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश

1. उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए वचन-पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि को लौटा देंगे।

2. सौदा करने वाले बैंक यह बताते हुए हमें ड्राफ्टस और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण-पत्र अवश्य भेजे कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा .... को भेज दिए गए है।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्चे आयातकों/संभरकों के लेखे के लिए हैं।

भवदीय,

( )

वाणिज्यिक बैंक

....

..................द्वारा

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें:

यह भुगतान हमारी साख-पत्र सं० .... का अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि .... येन जो, जो कि कुल संविदा मूल्य का .... प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज :

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि ....येन

जो कि कुल संविदा मूल्य का ....प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज:

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :

3. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि ....येन

संविदा की कुल मूल्य का ....प्रतिशत है।

टिप्पणी :— पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

अनुबन्ध—6

प्रपत्र ओ० ई० सी० एफ०एल०सी०-2

अपरिवर्तनीय साख पत्र

(सेवाओं के लिए लागू)

दिनांक

सेवा में,

————————

————————

————————

(संभरक का नाम व पता)

यह साख पत्र (ऋणी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार सं० ———— दिनांक ————के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण ब्यौरेवार मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट्स एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० ———————— खोल दिया है जो येन———————— (येन ————————————पहले) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा सं०—————————————और परियोजना ————————) से सम्बन्धित दस्तावेजों को नत्थी करना है। सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट ————————————से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साख पत्र सं०———————— दिनांक ————————————————के अंतर्गत भुना लिए गए हैं' से चिन्हित होने चाहिए।

यह क्रेडिट के हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एतद् द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर [illegible] किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए, यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकूमेन्टरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स ब्रोचर नं० 290" के अधीन है

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश :

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए। प्रारम्भिक भुगतान के मामले में, उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाए लाभकारी विवरण की आवश्यकता है।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि को मोल-तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रेषित करने का वचन देते हैं।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और मसौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे।

4. इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे आयातकों/संभरकों के लेखे के लिए हैं।

भवदीय

(वाणिज्यक बैंक)

द्वारा ————————————

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे प्रपत्र साखपत्र सं० ————————का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान ————————

धनराशि ————————————येन ————————

कुल संविदा मूल्य का ————————————प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज : लाभकारी विवरण

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

2. भुगतान वृद्धि

संपूर्ण योग की धनराशि ———————— ————————ये

कुल संविदा मूल्य का ———— ———— ————प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :—

देय धनराशि	अन्तिम भुगतान तिथि
येन————————	येन ————————
पहली किश्त येन-————————	————————
दूसरी किश्त येन-————————	————————
————————	————————

अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा इसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक ————————

संदर्भ सं० ————————

सेवा में,

————————

————————

————————

(संभरक का नाम और पता)

संदर्भ : ऋण करार सं० ————के अंतर्गत ———— परियोजना से संबंधित ————————के नाम में———— ———— येन के लिए ———— द्वारा जारी किए गए साख पत्र की सं० ————————दिनांक————————

मैं, अधोहस्ताक्षरी प्रतिनिधि (ऋणी) एतद् द्वारा ———————— और ———————————— के बीच संविदा सं० ———— दिनांक ————————————में निहित भुगतान की शर्तों के

अनुसार, समुद्र-पार आर्थिक सहायता निधि द्वारा -------------की अनराशि -----------------------येन (यज) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं।)

(-----------------------)

(ऋणी)

द्वारा ----------------

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न-पत्र में बताया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 28-ITC(PN)/82

New Delhi, the 31st May, 1982

Subject : Licensing conditions in respect of import of goods and services under the Yen Credit of Yen 1.5 Billion for the implementation of the Hirakud Hydro-electric Project of the Orissa State Electricity Board.

F. No. IPC/23(29)/82.—The terms and conditions governing the issuance of import licence in respect of import of goods and services uider the Yen Credit of Yen 1.5 Billion for the implementation of the Hirakud Hydroelectric Project of the Orissa State Electricity Board as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYANSWAMY, Chief Controller of Imports & Exports.

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 28....ITC(PN)/82 DATED THE 31st MAY 1982

Licensing Conditions in Respect of Imports of Goods and Services under the Yen Credit of Yen 1.5 Billion for the Implementation of the Hirakud Hydroiectric Project of the Orissa State Electricity Board (OSEB) Extended by the Orissa State Electricity Board (OSEB) Extended by the

Section I—General Conditions :

I(i) The Yen Credit of Y 1.5 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Hirakud Hydroelectric Project of the Orissa State Electricity Board (OSEB) is united in favour of the developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under his credit should not exceed Y 1,700 million, (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per **para 2** of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also endings that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P16". The first and second suffix to the licence code will be 'S/JC'. This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to O.S.E.B., a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii) Import Licence(s) can be issued only in favour of OSEB on CIF basis.

I(iv) Depending on the cosvenience of OSEB more than one import Licence may be issued under this credit but the total value must not exceed Y 1,700 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by OSEB, be granted upto 31-3-86. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vi) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agents commission should be made in Indian rupoes to the agents in India. Such payments, however, will from part of licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be place on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Departmen of Economic Affairs (Japan-Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and issurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders' means purchase orders placed by the Indian Liicencee on the overseas supplier duly signed by the letter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, *Department of Economic Affairs* (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee. Only on production by the licence of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealtrs and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of ceredit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I(x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :—

"..........Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of..........".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-86

Section II —Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should clude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The main guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be borne in mind :—

(a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

(b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

(c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

(a) Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.

(b) Whether the number of qualified suppliers is limited.

(c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.

(d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate.

(i) Formal Selective International Tendering

(ii) Informal International Competitive Procurement

(iii) Direct Purchases from a single supplier.

OSEB should submit immediately in triplicate, copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings, reports of the analysis of bids, proposal for awards and all other documents relevant to the bidding to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) who will submit these documents to the OECF for its review as provided in para (12) of Schedule 5 of the Loan Agreement.

II(iv) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P 16 for 1981-82 the details of which are given in Section VI below.

II(v) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vi) Eligibility of Supplier

Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II(vii) Declaration in Contract

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in————————(eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty} \times 100}{\text{Supplier's FOB Price}}$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that————————

(Name of company) has been incorporated and registered in ————————(name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II(viii) Permissible imports from non-eligible source countries :

Financing of goods which contain in materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formulae;

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price} + \text{Import Duty} \times 100}{\text{Supplier's FOB Price}}$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts :

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 15th October, 1981 concerning the Yen Credit No. ID-P. 16 (Project Aid) for Hirakud Hydroelectric Project of OSEB and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P16 dated 15th October, 1981 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vii)

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract shohld contain a clause the japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF

IV(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licencee should forward 4 copies of the contract duly signed both O.S.E.B. and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance North Block, New Delhi.

IV(ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P.16 (Project Aid) for Hirakud Hydroelectric Project of OSEB.

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure.

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, O.S.E.B. and the CAA & A will be informed of the same. Whereafter the OSEB should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA & A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA & A will issue a letter of authorisaiton as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-Vf (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA & A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA & A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations thereunder and charges, if any, of overseas supplier's banker are to be borne by the Overseas suppliers and hence not payable by the importer. Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas supplier to the date of reimbursement by the OECF shall be settled by the concerned importers bank in India, by remittances to the Bank of India Tokyo through normal banking channel without affecting the Government India's account.

Section VI—Responsibility for rupee deposit :

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated @ 9% per annum for the first 30 days and @ 15% per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas Supplier to the date o actual rupee deposit have also to be deposited alongwith the principal payment, in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/74 dated 12-10-1976.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the ovtrseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC (PN)/74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credit/Loans Agreements from the Government of Japan—4 Billion Yen Credit No. ID-P.16 for Hirakud Hydroelectric Project.

VI (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC (PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC (PN)/71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74 daeed 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VI (iii) The concerned Bank of India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) while filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No.-ITC (PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the C.AA & A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII—Miscellaneous provisions.

VIII (i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The licence should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII (iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licence the suppliers. The

conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future Instructions :—

The licencee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P. 16 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII (v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII (vi) List of Annexures :

Annexure-I List of eligible source countries.

Annexure-II Broad Guldelines for Procurement.

Annexure-III Request for issue of Letter of Authority.

Annexure-IV Form of Letter of Authority.

Annexure-V Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).

Annexure—VI Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

ANNEXURE—III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

DATE :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit.
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U. C. O. Bank Building, Ist Floor,
Parliament Street,
New Delhi—110001.

Sub :—Import of————————from Japan under the Yen Credit No.————————(Project Aid)

Sir,

In connection with the import of———— from———— under the above mentioned Yen Credit No. ———— (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the ———— (name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

(a) Name and Address of the Indian Importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement— whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross FOR value of contract (in Yen) Authority is required.

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen): if any.

(i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with overseas suppliers.

(k) Name and Address of the Overseas Supplier :

(i) Nationality

(ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.

(iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.

(iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if transhipment/part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O. E. C. F.

ANNEXURE-IV

(Letter of Authority Form)

No. F.
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs

New Delhi, the.....

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. ID-P 16-Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen———— fabouring M|s.————as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

Interest charges payable to you, for the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, shall be settled by you with the concerned importers' bank in India through normal banking channels without affecting the Government of India's account. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers

if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and any thirefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any pament is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this autl orisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto- ———

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to:-

1 Importer——————with reference to their letter No ———————dated——————

2. Importers Banker—————— They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8 ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9% per annum for the first thirty days and at the rate of 15% per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier/date of reimbursements to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is also required to be deposited into the Government of India Account in terms of Public Notice No. 46 ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i e. the day on which payment is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposit is made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S B I, Tis Hazari. Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184 ITC(PN)/68 dated 30-8-68, 233 ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132 ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74 ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103 ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is 'K Deposits & Advances-843-Civil Deposits-Deposit for purchases etc abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements Loans from the Government of Japan 1.5 billion Yen Credit (Project Aid) No.ID-P.16 for 1981-82

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the S B I, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132 ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations the roof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the time lag between the dates of payment to the supplier and the date of its reimbursement to the Bank of India, Tokyo by the OECF shall be settled directly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

3. The Director Loan Department II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1 Chome, Chiyoda Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delh.

Accounts Officer

ANNEXURE-V

Form OECF—LC-I

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

Date:

To ———————	This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. ———
———————	dated———————
(Name and address of the Supplier)	between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. ————in your favour for account of————— for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of- ——— ——————(Say yen——————) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents:

Signed commercial invoice in - ——————
Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and "Notify" ——————"

Other documents

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No ——————(if any) from —————— to ——————
Partial shipments are——————permitted Transhipment is——————permitted.

Bills of lading must be dated not later than——————
Drafts must be presented for negotiation not later than— ——— ————All drafts and documents under this credit must be market "Drawn under——————

rrevocable credit No.———————————, dated ——————————and Import Reference No. (s) ——————————— (if any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank:

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to——————————.
3. All banking charges under this credit are for the account of importers/suppliers.

Yours faithfully,

....

(a commercial bank)

By: ——————————

(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No.——————————

I. Initial Payment

Amount: ——————————————

being ——————— % of the total contract price.

Required documents:

Latest presentation date:

II. Intermediate Payment (if any)

Amount: ——————————————

being———————————% of the total contract price.

Required documents:

Latest presentation date:

III. Payment against Shipping Documents

Amount: ——————————————

being———————————% of the total contract price

Note: This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE—V F

Form OECF-LC. II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

To Date: ——————————

—————————— This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.——————————, dated——————————.

—————————— between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

(Name and address of the Supplier)

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.———————————in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of——————————————(Say Yen——————————) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement valu drawn on us.

To be accompained by the required documents. in accordance with the Payment Schedule attached hereto.————————— concerning (Contract No ———————————with regard to———————————Project) Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No.———————————— dated———————————————"

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290."

Special Instructions to the negotiating bank:

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above mentioned Statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the abovementioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the Imports/supplies.

Yours faithfully,

____

(a commercial bank)

By: ________________

(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No ____________.

I Initial Payment

Amount: ________________
being____________% of the *Total contract price*

Required documents: beneficiary's Statement
Latest presentation date:

II. Progress Payment

Aggregate amount: ________________
being____________% of the total contract price to be paid as follows:

	Amount due	Latest presentation
	________	________
1st instalment.	________	________
2nd instalment:	________	________
....	....	....

Required document: a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto

Statement of Performance

Date: ____________
Re No ____________

To

____

____

(Name and address of the Supplier)

Re: Letter of Credit No ________, dated________ Issued by________ for________in favour of ________concerning________ project under Loan Agreement No ________

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle________to receive the sum of________(Yen________only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No.________, dated________, between ________and ________.

____

(Borrower)

By: ____________

(Authorised Signature)

Special Instructions:

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto

ANNEXURE I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories :

(a1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara
Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara
Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep. (2)
Sao Tomo and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da *Inaccessibles, Nightingale, Gough.*

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustacit St. Martin (Southern part).

III. AMERICA, North and Cant.
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- Costa Rica
- Cuba
- Dominican Republic
- El Salvador
- Guadeloupe
- Guatemala
- Haiti
- Honduras
- Jamaica
- Martinique
- Mexico
- Netherlands AnTilles
- Nicaragua
- Panama
- St. Pierre & Miquelon
- Trinidad and Tobago

(Continued)
West Indies (Br.) n.i.e.
- (a) Associated States (1)
- (b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South
- Argentina
- Bolivia
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Falkland Islands
- French Guiana
- Guyana
- Paraguay
- Peru
- Surinam
- Uruguay

V. ASIA, Middle East
- Bahrain
- Israel
- Jordan
- Lebanon
- Oman
- Syrian Arab Republic
- United Arab Emirates (3)
- Yemen Arab Republic
- Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South
- Afghanistan
- Bangladesh
- Bhutan
- Burma
- India
- Maldvis
- Nepal
- Pakistan
- Sri Lanka

VII. ASIA, Far East :
- Brunei
- Hong Kong
- Khmer Republic
- Korea, Republic of
- Laos
- Macao
- Malaysia
- Phillippines
- Singapore
- Taiwan
- Thailand
- Timor
- Viet-Nam, Rep. of
- Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA :
- Cook Islands
- Fiji
- *Gilbert & Ellice Is.*
- French Polynesia (5)
- Nauru
- New Calendonia
- New Hebrices (Br. and Fr.)
- Niue
- Pacific Islands (US) (6)
- Papua New Guinea
- Solomon Islands (Br.)
- Tonga
- Wallis and Futuna
- Western Samoa

IX. Europe :
- Cyprus
- Gibraltar
- Greece
- Malta
- Spain
- Turkey
- Yugoslavia

(a2) Member or Association Countries of OPEC :
- Algeria
- Bolivia
- Libyan Arab Republic
- Gabon
- Nigeria
- Ecuador
- Venezuela
- Iran
- Iraq
- Kuwait
- Qatar
- Saudi Arabia
- Abu Dhabi
- Indonesia

(1) Main islands : Antigue, Dominica, Grenanda, St. Kitts (St. Varistophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main islands : Montserrat, Cayman, Turks and Caicos and British Virgin Islands.

(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Rasal Khaimah, Sharjah and Ummal Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

ANNEXURE-II

Man Guidelines for Procurement of Goods and Services under the Project Loans as formulated by O.E.O.F.

I. Advertising :

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, Invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts :

II-1. Bid Bonds or Guarantees :

Bid bonds or bidding guarantees are as usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II-2. Conditions of Contract :

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3 Type and Size of Contract :

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable to the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as———————percent (%) of the shares and held by nationals of———(eligible source country), and——————————percent ( ) of the directors are nationals—— ——(eligible source country) and my (our) company has been registered in ——————(eligible source country)".

IV-1. Standards :

If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names :

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money :

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V. Liquidated Damage :

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or less of other benefits to the borrower. Provisions may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure :

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes :

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation :

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening Evaluation and Award of Contract :

IX. 1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures :

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alternation of Bids :

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened, Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be confidential :

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids :

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders :

In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids :

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b), there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract :

The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982